



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी०एस०आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285595 ई-मेल: ro.raipur.ibm@gmail.com

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट

क्र०-छ.ग./बस्तर/चू.प.-20/रायपुर

दिनांक :-24.04.2017

प्रति,

श्री रफीक खान, पट्टेदार  
वास्ते- इस्तियाक खान, जामा मस्जिद के सामने,  
जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)-494001

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी छोटे कदमा चूनापत्थर खदान 2.43 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 11.04.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री रफीक खान, खान मालिक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

**Rule 11(1):** The following deviations have been found in the mine from approved Scheme of Mining vide letter no. BST/LST/MPLN-783/NGP dated 25/09/2012 for the period of 2012-13 to 2016-17:

- (i) **Borehole:** For the year 2012-13, it has been proposed to carry out 02 nos to DTH drilling up to a depth of lithomarge, none of the borehole have been drilled.
- (ii) **Afforestation:** It has been proposed to plant 250 nos. of plantation during 2012-13 to 2016-17, none of the plants have been planted.
- (iii) **Development:** In between pillar no. 1 to 4 and 3 to 4, 7.5m barrier zone has been mined out. In the approved Scheme of Mining there was no such proposal given and no statutory clearance has been taken from the competent authority of the Government of India for mining at 7.5m barrier zone.

**Rule 45 (7):** Annual Returns from 2012-13 to 2015-16 and Monthly returns from April 2016 to March 2017 have been scrutinized and it has been found that the Consignee name and registration no. as allotted by IBM to the buyer have not been mentioned in any return.

**Rule 54:** Labour attendance register, production and dispatch register, royalty assessment register have not been maintained and made available during inspection.

**Rule 55 (1)(c)(ii):** A part-time Mining Engineer and a Part-time Geologist have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जात है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7)(क) के अंतर्गत

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पर के पारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर